उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2

संख्या-क0नि0-2-136/ग्यारह-9(11)/14-उ0प्र0अधि0-5-2008- आदेश-(127)-2015

लखनऊः दिनांकः 28 जनवरी, 2015

<u>अधिसूचना</u>

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची-एक एवं अनुसूची-दो में दिनांक 29 जनवरी, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैंः-

<u>संशोधन</u>

(क) उक्त अनुसूची-एक में, क्रम संख्या 4 पर अंकित प्रविष्टि में शब्द'' या धान का बाहरी छिलका'' विलोपित कर दिये जायेंगे।

(ख) उक्त अनुसूची-दो में, भाग-क में, क्रम संख्या 62 की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि स्तम्भवार रख दी जायेंगी, अर्थात्ः

क्रम संख्या	वस्तु का नाम एवं विवरण
1	2
62	राइस पालिस, राइस ब्रान और राइस हस्क ; पैडी हस्क

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

https://shasanadesh.up.nic.in